6.3.1. The institution has effective welfare measures for teaching and non-teaching staff.

शासकीय ऋण तथा अग्रिम

शासकीय ऋण तथा अग्रिम

विविध अधिम एवं जनके स्वीकर्ता प्रधिकारी

ऋण तथा अग्रिम का प्रकार		स्वीकर्ताः	ग्राधिकारी	
क- भवन निर्माण/क्य अग्रिम	सचिव, विभागान्यक्ष, न्यायकीश	मण्डलायुक्त,	जिलाधिकारी,	जनप
ख- भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम ग- मोटर कार अग्रिम प- मोटर स्वाहिक्त/ स्कूटर/मोपेड अग्रिम ड- व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम प- साइकिक अग्रिम प- यात्रा भत्ता अग्रिम प- स्वानगरण बात्रा भत्ता अग्रिम इ- वेतन अग्रिम	तदैव तदैव तदैव तदैव तदैव कार्यालयाज्यस कार्यालयाज्यस कार्यालयाज्यस कार्यालयाज्यस			
ञ- विकित्सा अग्रिम	कार्यालयाध्यक्ष, विभा	गाध्यक्ष, शास	-1	

सामन्त्रतः राजपंत्रितं अभिकारियों हेतु कम सर्वव्या (१७) से लेकर कम सर्वव्या (१०) राज के अधिमों के लिए राजिकरी अधिकारि जिमारीय साधिय हैं लेकिन करियाद दिवारी हैं एते अधिकारी की प्रीतिनेक्ष्यान नियमान्त्रक के निव्या मात्र हैं एतकर, प्यादा मात्र आयुव्ध कार्यवात के केशकरों के को प्रेरेकर ने पेत्र मित्र के स्थानियों के केशकरी प्रात्मन्त्रत दिवारामान्त्रत हैं है। का प्रकार (१९) से लेकर एत्र) एत्र कर अधिकों के लिए राजि में की एत्र एकरें ते क्यों (राजपंत्रित एवं अजनवंत्रित) हें तु राजिकरी प्रात्मित्रत करायों स्वात्मक्ष्य की है। विकित्स अधिम के लिए निवासित प्रवादात्रि से सीमा कर कमार कार्या त्याप्त्र विकारमाञ्च करता साम राजिकरी प्राणिवारी

2.3 नियमानुसार ऐसे कर्मकारों को ही मबन निर्माण/क्रम और मबन मस्मान/विरसार अधिम स्वीकृत किया जा सकता है जिनकी सेककात 10 वर्ष/5 वर्ष से अधिक अवसेष हो। 10 वर्ष/5 वर्ष से अधिक अवसेष हो। 10 वर्ष/5 वर्ष से अधिक असेष हो। 10 वर्ष/5 वर्ष से अधिक हो। 11 वर्ष से अधिक हो। 11 वर्ष से प्रतिकृत करने के पूर्व सामन के विराम वर्ष से प्रतिकृत करने के प्रतिकृत करने के प्रतिकृत करने के प्रतिकृत करने के प्रतिकृत करने वर्ष हो। 11 वर्ष से प्रतिकृत करने वर्ष हो। 11 वर्ष से प्रतिकृत करने वर्ष हो। 12 वर्ष से वर्ष से अधिक संति वर्ष से वर्ष से वर्ष से अधिक संति को वर्ष से वर्ष से

धन्तरिक आहरित कर तो गई है।

21 कि निर्माण अब अविश्व अविश्व कि सिंह कि स्वार क्षान- गाँव मान- वे निर्माण अव-आई के

31 पुरावण, प्रमुख के सम्बन्ध में किरोण निरम्म तथाड़ क्षान-गाँव मान- वे निरम्म अव-आई के
कोध्यान्य कर्णवान किया जाता प्रस्तावित है वह निर्माण एवं प्रस्तुवत है। सर्वाति को अदिम्म को प्रतिमूण जीवन किया जाता प्रस्तावित है वह निर्माण एवं प्रस्तुवत है। सर्वाति को अदिम को प्रतिमूण निर्माण के प्रस्तावित के करने पर निर्माण करिया के सर्वाति के करने पर निर्माण करिया को किया कर्णा करिया है।

22 के के किसी भी स्थान पर मूल निर्माण अब्द हैं। अवित्य अनुस्त्रम है। वह स्थान कर्णवार के कार्य स्थान पर मुझ किया करिया कि अपने स्थान पर क्षिण के स्वर स्थामी तीर पर स्थाना माता हो। (स्वर अब्बंध)

23 कर्णवार्थ को स्थान पर स्थान माता हो। (स्वर अब्बंध)

23 कर्णवार्थ को स्थान पर स्थान स्थान है।

गृह निर्माण / क्रय तथा गृह मरम्मत विस्तार अग्रिम स्वीकृत करने हेतु अनर्हताएँ

- 4 (हा नालमा/ अन्य तथा मूह नर्ममा क्रांतरा अवान न्यासूत करना हतु अन्यवाधः । 4.1 कांसीकों के मार्ग पहुँक महान के कींग्रीता कोई उन्तर मन्य में कींगा। 4.2 कांसीकों के दिख्त कोई अनुसारनात्मक कार्यकाति विचारणीन ही तथा अल्याई होने की दारा ने नियुक्तित वर्षकी कींग्रीत किंग्रीत केंग्रा कांसीका है की की दाना में उत्तर नगर में नहीं अवित्र में मूह किंग्रीत कींग्रीत कींग्री की तथा कांसीका होने की दाना में उत्तर नगर में नहीं अवित्र केंग्रीत की व्यक्ति कांसी की व्यक्ति नवीं अव्यक्ति कांसी को की द्वारा कांग्रीत कांग्रीत केंग्रीत केंग्रीत की व्यक्ति नवीं की को दाना किंग्रीत अव्यक्त सुरामक के कार्य होतु अवित्र अनुमन्य गरी है।

- 45 किराया क्य पहिता के अधार पर क्य करके अर्जित की जाने वाली समित के लिए अधिम अनुमन्न नहीं हैं। 46 ओरिंटर कर्ममार्थ की पत्नी/पित के शिलीदारों के नाम की समिति पर क्याग उसके नाम से अधार उसके साथ सबुकर स्वामित्र में समित अर्जित अपने के लिए अधिम अपनम्य नहीं हैं। 47 ब्यों कोई सरकारी सेक्क मारत के बारर प्रीतिन्तुमित पर जा रहा है तो तसे अधिम देव नहीं हैं।

. १. मृह निर्माण/मस्मात/विस्तार अधिम की राशि जिसनादेश सख्या बी-3-1973/वस-2010-100(9)/88-मवन, दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 द्वारा

- में होगी। 22 मदन मस्मान / निरारा के लिए अंग्रिम की सीमा 34 माह का फैफ देशन या रै1,80,000, जो भी कम ही, होगी। इसकी व्यावन सहित समूत्री अधिकतम 120 किश्तों में होगी। 33 अपिम की वास्तरिक रूप से देश अग्रि मदन निर्माण / मम्मान / कम/ निरारा की वास्तरिक स्माग से अधिक नहीं होगी। देश कि फैफ दोना का आधाम मुझ सेमा में प्रेढ जेतन को प्रदावन है।

प्रतिदान हेतु समता (शासनादेश संख्या बी-3-1875/दस-2006-100(0)/88, दिनांक 23-08-2006 द्वारा संशोधित) 1 भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृति हेतु प्रतिदान हेतु समता निरम आधार पर आँकी जायेगी-

अवशेष सेवा अवधि	प्रतिदान हेतु क्षमता का रलैब
(1) 20 वर्ष के बाद सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी।	मूल वेतन का 40 प्रतिशत।
(2) 10 वर्ष के पश्चात किन्तु 20 वर्ष से पहले सेवानिवृत होने वाले कमचारी।	मूल वेतन का 40 प्रतिश्चत अथवा अधिवर्षता आनुतोषिक के 65 प्रतिश्चत धनराशि के समायाजन के उपरान्त मूल वेतन का 40 प्रतिश्चत।
(3) 10 वर्ष के भीतर सेवानिवृत होने वाले कर्मवारी।	मूल वेतन का 50 प्रतिश्चत अथवा अधिवर्षता आनुतीषिक के 75 प्रतिश्चत धनराशि के समायाजन के उपरान्त मूल वेतन का 50 प्रतिश्चत।

- 22 प्रतिस्ता हेतु समया का आगण यह है कि प्रस्तादिक अधिम को प्रतिस्ता हेतु मारिक किश्त की वर्षित प्रमार निर्धारित भारतीय से अधिक नहीं होंगी। जिस समस्ते में प्रमुख्य प्रमार 52 को अधिक अनुसार अस्त्रमान्य अधिम के आगार पर मारिक किशा जो रहिंग उपर निर्धारित रुपीत से अधिक अम्प्रीप्त हो रही हो, चन्ने चीकृत किथे जाने वाले अधिम की सीचें चार सीचा तक कम कर दो जानेंगी जिसके कामार पर मारिक किश्त को सीम की की उपर निर्धारित रुपीत से अम्प्रीप्त होंग को अधित से साम निर्धारित करते साम इस की देखा जानेंग कि निर्धार 22 किसी कमसार की प्रतिदास समता निर्धारित करते साम इस की देखा जानेंग कि निर्धार की
- अग्रिम की वसुली हेतु जो किश्तों की राशि निर्धारित की जा रही हो, उसे सम्बन्धि के बेतन से पहले से की जा रही कटौतियों के प्ररिप्रेक्ष्य में वसूल करना संगव हो।

- प्रेप्यूरी से उपरोक्तानुसार सामाजेवन करते हुए अधिम तभी स्वीकृत किया जावेगा जब कर्मकारी एक्ता आगय का रिविद्धा अनुस्तेम करे। अधिवती आनुतिषिक की गणना प्रस्त कारमिक मूल हैन तक अधार एक जी कारियों जी सम्बोधित कर्मकारी अधार केशिव्या के स्वाप्य कर्म वेतनमान ने अर्थकारी तथा पूरी करने पर आपरित करेगा। बारि पाणिय में प्रेप्यूरी की सनताति में में पुनरिक्षण के कल्कारक कोई बूढ़ि जा कारी है तो केयूनी में ऐसे पुनरिक्षण के क्यानस्त कर आपरित करेगा। वारि कारियों है।
- पूर्व में शीवृत अदिम की धनतीं में कोई दृद्धि नहीं की जायेगी।
 . अधिकतम जाता शीमा (सामानीद्रें वार्की मैं-- 1917/रचा-- 2010-1000)/ लह. दिनांक 12
 अस्ट्रस्ट 2010
 . पान निर्माण, अब की न्यूनाम लागत तीमा रैं.50 लाख तमा अधिकतम लागत तीमा शैवन केव है में में ना 154 हुना अध्या रैं.2000 लाख, जी भी कम हो, होगी किन्तु प्रसाहकीय विभाग यदि किती विद्यार मान में साधुर है तो वह वार्की गुमावृत्य के आधार पर विधार करके पत्रम निर्माण की तीवित्य मान में साधुर है तो वह वार्की गुमावृत्य के आधार पर विधार कर स्थान निर्माणित की मान की साधुर है तो वह वार्की गुमावृत्य के आधार पर विधार वह स्थान निर्माण की साधुर की अधिकार कि प्रति की साधुर की स्थान के स्थान की स्थान की स्थान के स्थान की

- 8.4 सामन्यता पूर्वरे प्रश्नर के बाहन अप्रिय तभी श्लीम्हा किये जा सकते हैं. जबकि पहले प्रश्नर के बाहन कि तुर्वि हो महिन के अपिन की स्वयुत्ति माम्याच्या पूर्वि हो मुंत्री हो अधि प्रश्निक्तर स्थापन हो कि स्थापन के प्रश्निक्त का वार्तिक के प्रश्निक्त का वार्तिक के प्रश्निक्त की प्रश्निक्त के प्रिक्त के प्रश्निक्त के प्रश्निक के प्रश्निक्त के प्रश्निक्त के प्रश्निक्त के प्रश्निक्त के प्रिक्त के प्रश्निक्त के प्रश्निक के प्रिक्त के प्रश्निक्त के प्रिक्त के प्रश्निक्त के प्रश्निक्त के प्रिक

क्रम	वाहन का विवरण	अनुमन्यता हेतु कमयारी का बैण्ड वेतन	प्रथम बार अनुमन्य अग्रिम की अधिकतम सीमा	दूसरे अथवा बाद के अवसरों पर रवीकृत किये जाने वाले अग्रिम की अधिकतम सीमा	वसूली की अधिकतम मासिक किश्तै
1	- 2	3	4	5	6
1	मोटरकार	न्यूनतम ₹ 19,530	11 माह का ग्रेंड वेतन घटाकर वेतन या ₹1,80,000 या वाहन का मूल्य, जो भी सबसे कम हो।	11 माह का ग्रेंड वेतन घटाकर वेतन या ₹ 1,60,000 या वाहन का मूल्य, जो भी सबसे कम हो।	200
2	मोटरसाइकिल / स्कूटर	न्यूनतम ₹8,560	6 माह का मूल वेतन या ₹30,000 या वाहन का मूल्य, जो भी सबसे कम हो।	5 माह का मूल वैतन या ₹24,000 या वाहन का मूल्य, जो भी सबसे कम हो।	70
3	मोपेड / आटोसाइकिल	न्यूनतम ₹5,060	₹15,000 या वाहन का पूर्वानुमानित मूल्य, जो भी कम हो।	₹15,000 या वाहन का पूर्वानुमानित मूल्य, जो भी कम हो।	70
4	साइकिल	अधिकतम ₹9300	₹1,500 या साइकिल का मूल्य,		30

के पक्ष में करक रखा जाना होगा। अस्थाई राज्य कर्मवारियों की दशा में प्रपन्न 26 सी में एक श्यायी कर्मवारी की जानाता देनी होगी जो अधिमों की वसूती से पूर्व तैवानितृता न हो। ४ पर्तनंत कर्मपूर के क्या देश दुर्विम सर्वीकार्य मिक्कारी के समामा दोना बारिए कि सरकारी कार्य के हित में कर्मवारी को व्यक्तिगत कम्प्यूटर रखना आवश्यक है।

सरकों कार्य के दिन में कमंत्राचे को व्यक्तियत कम्यूटर रचना आगरक है!

10. अपियों के अब्दुष्टर में आर्थिम आरटण देतु दर्किहों। सामान्याया बढ़ें किसते में की जाती है।

10. अपने के अब्दुष्टर में अपने किसते ने में किसते में की जाती है।

10. अपने किसते के किसते ने सीहक किया जाता है। अपने विश्व किसते में मंत्री जाती हुनते हैं।

10. अपने किसते किसते ने मौत्री में मिल्टी में किया जा को। अपनी किसते निर्मा करने के दूर्व में सम्बन्धित स्वाचारी रेकते में हैं का आपका का अपने प्रमुख्य करने किसते किसते की स्वाचित किसते के स्वाचित किसते की स्वाची स्वाची की स्वाची स्वाची की स्वाची है।

20. सामी प्रकार के अपने से लोकाही किसते अपने अपने स्वाची के स्विच क्यारी है।

21. सामी प्रकार के आर्थिय से कोमां है से लोकाही किसता अपने स्वाची से द्वाची के अपने स्वाची की स्वाची की स्वाची की स्वाची की स्वाची की अपने स्वाची की अपने से अपने से स्वाची की अपने स्वाची की अपने से अपने से लोकाही की अपने से अपने से लोकाही की अपने से से अपने से से अपने से की अपने से अपनी हों से अपनी से बें स्वाची की अपने से अपने से से से अपने से से अपने से से से अपने से से से अपने से से अपने से से से अपने से अपने से आपने से आपने से आपने से साम होगा।

क्रम	अग्रिम का प्रकार	मुख्य लेखाशीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार
(1)	गृह निर्माण के लिए अगिम	7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	00	201 गृह निर्माण अग्रिम	01	00
(2)	गृह मरम्मतः/ विस्तार के लिए अग्रिम	7610-सरकारी कमंचारियों को कर्ज	00	201 गृह निर्माण अग्रिम	02	00
(3)	मोटर वाहन के लिए अग्रिम	7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	00	202 मोटर गाड़ियों के खरीद के लिए अग्रिम	00	00
(4)	अन्य गाड़ियों की खरीद के लिए अग्रिम	7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	00	203 अन्य वाहनों के लिए अग्रिम	00	01

04 अधियों आहरण के पूर्व कर्मणयों द्वारा अनुस्था किया जाता है। इस हेतु विभिन्न प्रकार के पाने प्रयोग विश्वे जाते हैं हम्ला संब्रिय विश्वरण निम्मवत है-क्रम अधिम का प्रकार आहरण के पूर्व प्रयुक्त विश्वे जाने वाले कार्म 1 प्रवाद निमाण अधिम 22 ए 2 बवन मसम्ब्रत निस्तार अधिम 22 ए

3	मोटर कार अग्रिम	25 U
4	मोटर साइकिल / स्कूटर / मोपेड अग्रिम	25 Ų
5	व्यक्तिगत कम्प्यटर अग्रिम	25 U

11. अधिम की बसूती तत्त्व कंपोसियों को मान निर्माण/कथा/मस्मात/विस्तार, मीटरकार/कम्यूटर/मीटर साइकिट/ मीसेट/साइकित कम हेतु स्तीवृत अधिम की वसूती के समन्त्र में प्रतिकान विशेष हत्तापुरितका व्यन्क-पीच माग-। के प्रतार 244 की, 246 की, 246 (व) तथा 247 (a) में दिये मधे

- पुरिशास जायन-पीय साम-न के प्रसार 244 की, 246 की, 246 (b) साय 24 (c) में दिसे गये पत्रन निर्माण/अब्य दिस्तरा अर्थिय गाँद एकमुख्य रचीवृत्ता किया जाता है तो बसूत सार का काहरण के बाद मिसले वाले दूस है के तो प्रारण की जाती मादिए। यह जे किया का आहरण एस से अर्थिक किया में दिस्ता का तो प्रारण की जाती मादिए। यह जे किया का अर्था प्रसार की किया में दूस की जाती मादिए। यह जी अर्थिक किया के अपूर्वत परस्तीयों हो तो सामनीया राज्य कर्मामां में अपूर्वत पर एस ही अर्थिक किया में अपूर्वत परस्तीयों हो तो सामनीया राज्य कर्मामां में अपूर्वत पर एस ही अर्थिक किया में अपूर्वत परस्तीयों हो तो सामनीया राज्य कर्मामां में अपूर्वत पर एस ही अर्थिक किया में अपूर्वत परस्तीयों हो तो सामनीया राज्य कर्मामां में अपूर्वत पर एस ही अर्थिक किया में अपूर्वत परस्तीयों हो तो सामनीया की सामनी में अपूर्वत पर एस ही अर्थिक किया में अपूर्वत परस्तीयों में प्रदेश कर अपूर्वपुर, मेर्डर क्रांतिक (अपूर्वर) मेर्निट एस साहस्तिक अर्थिम की सामनी मेर्डर कर अपूर्वपुर, मेर्डर क्रांतिक (अपूर्वर) मेर्निट एस साहस्तिक अर्थिम की सामनी मेर्डर कर अपूर्वपुर, मेर्डर क्रांतिक (अपूर्वर) मेर्निट एस साहस्तिक अर्थिम की सामनी मेर्डर कर अपूर्वपुर, मेर्डर क्रांतिक (अपूर्वर) मेर्डर एस साहस्तिक अर्थाय की साहस्ती क्रांति के कार्य आरोग साहस्तिक क्रांति के साहस्ति क्रांतिक साहस्ति क्रांति के क्रांति के क्रांति के क्रांति क्रांतिक के क्रांति क्रांति क्रांति क्रांतिक के क्रांति क्रांति क्रांतिक के क्रांति का क्रांति क्रांति क्रांति क्रांतिक क्रांति क्रांति क्रांति क्रांति के क्रांति क्रांति क्रांति क्रांति क्रांति क्रांति क्रांति क्रांति क्
- 112
- 11.3
- प्राणिए। मिल्री भी कर्मवार्ष जिले भवन निर्माण या अन्य कोई अधिम रलीक्ता कर दिवा गया है, के दूसरे कार्यायय में श्यानात्त्रण और स्थिति में उत्तरके अधिम येवान प्रमाणक में रार्यावृत्त करीम, अधिम की बहुत की गई मारिक किरात्री की स्थाला माल वीत और सबूद की जाने करी किरात्री की संख्या तथा अवशेष राशि का पूर्व किराण दिया जाना चाहिए।

- 12. अधिम पर ब्याज 12.1 अधिम पर बाज की नणना एवं वस्तुती कितीय नियम संग्रह छंड़-नीय भाग-। के नियम 22.2 के नीचे दिये गये नीट संत 2 में दिये गये आधिवानों के अन्तर्णत की जायेगी। 12.2 व्याज का आगमन प्रयोक माह के अधिम दिन के मुख्यन-अवशों के आधार पर किया जाता है। 12.3 किती प्रशासनिक कहरण से या वैतान प्रशासनिक किश्तों की अध्याप में तीन का आहरण किया माह में रूपना नहीं हो पाता है, व्यवस्था अधिम की किशतों की अदाराणीं मो नहीं हो पत्ती है. ऐसी दशा में आगाणी महीनों में बेंगन आहरण किये जाने के बावजूद ऐसा माना जायेगा कि

वित्त-पथ 2011

किशते की करोती प्राचेक पह निर्माण रूप से भी गयी है। तरनुसार आपन का आगणन पी
किया जायेगा। अकामा फान के आहरण में भी गयी फिदाना कामू होगा। हेकिन जानसुम्मान परि दिनों के द्वारा में निर्माण करा में निर्माण करा है। तर्माण करा है। भी करा करा में अवस्थित अपिम को 30 दिनों के भीरत वास्त जान विचा जाता है तो स्थाल आगणना पूरे महीने के हित्स अपिम को 30 दिनों के भीरत वास्त जाता है। तो स्थाल आगणना पूरे महीने के हित्स अपिम को आहरण कर के विकास काता है। तो स्थाल करा है। 126 अपिम पर बाता की माना पर्वेक अपिम करा है। दिस्तुमिंग बेदना के योग को आगर मनकर मिन सूत्र के माध्यम ते किया जाता है। स्वितुष्टिम बेदना को प्राचा पर्वेक करा है।

1200

12.7 शासनादेश संख्या बी-3-1734/दस-2006-2(41)/77-ब्याज, दिनांक 25-07-2006 हारा वितीय वर्ष 2003-04 तथा अनंतर के लिए भवन निर्माण/मरम्मत हेतु व्याज दरे निम्नवत् धोषित की गई हैं-

स्वीकृत अग्रिम की राशि	वार्षिक ब्याज दर
₹50,000 तक	7.5 %
₹1,50,000 तक	9.0%
₹5,00,000 तक	11.0%
₹7,50,000 तक	12.0 %
त शासनादेश द्वारा ही अन्य अग्रिमों हेत् ब्याज दरें नि	नम्नवत घोषित की गई है-
अग्रिम का प्रकार	वार्षिक ब्याज दर
मोटर कार/व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम	14.0 %
मोटर साइकिल / स्कूटर / मोपेड अग्रिम	10.5%
	रै50,000 तक रै1,50,000 तक रै5,50,000 तक रै7,50,000 तक त शासनाबेश द्वारा ही अन्य अधिमो हेतु व्याज दरे नि अधिम का प्रकार मोटर कार / व्यक्तिगत कम्प्यूटर अधिम

- [3] संख्रिकित अप्राथम : (१००० विकास के प्रसाद २०० के मीचे दिन गये और स्थाप 2 के अनुसार किसी सरकारी में केक की असमार्थिक मृत्यु की राज्या के अनुसार किसी सरकारी में तेक की असमार्थिक मृत्यु की राज्या में अमेशकी हमार दिने गये अंति में से बार की द्वारी की एक राज्या के सामित्र के देख मृत्यु असुरोशिक अस्था अस्थार के स्थाप की सर्वृत्ती की जातियी। १०० समार्थिक का अस्य अस्थार की सर्वृत्ती की जातियी। १०० समार्थिक का अस्य अस्थार की मृत्यु की दशा में उनके हमार दिने गये अस्य निमार्थक मुख्या की अस्थार की अस्थार की अस्थार की अस्थार की स्थाप की सर्वादी को मार्थ की अस्थार की स्थाप की स्थापिक कर राज्या की स्थाप की आधीर के स्थापी के स्थाप की आधीर के स्थापी कर राज्या की स्थापिक कर राज्या की स्थापिक स्थापी की स्थाप की आधीर के स्थापी कर राज्या की स्थापिक स्थापी की स्थाप की आधीर के स्थापी की स्थाप की आधीर के स्थापी की स्थाप की आधीर के स्थापी की स्थापी स्थाप

वित्त-पथ 2011

- 12.11 ब्याज की मानी का जिलाहर जिंदम रहीसून करने वाले सक्तम जिलाहरी को प्रदान किया गया है बैकिन जान आगणन की पूरित महत्वेत्रकार से करना होगा। 12.22 वर्षि अधिन के किसती का भूमान नियासिक भर्न से क्राय के अधीत किसती के भूमान में यह अपनिकृत जावान नहीं है, हासास्त्रीय करण या देवन वर्षी के अस्ता में देवन जातार में विश्वस्त होने से किसती के जाती से मी विश्वस्त के वाला में है किसता है हों जाता का उत्तर में कि असता में ते हुए हों के उत्तर है में उत्तर है कि स्वावस्त के नियास के जाता है, हमें अस्त्रान के विश्वस्त में हम्म हो नियास के प्रतास के प्रतास के उत्तर हमें की अस्त्रान के अस्त्रान के विश्वस्त है कुछ हो नियास के प्रतास के उत्तर हमाने अस्त्रान अस्त्रान के अस्त्रान के अस्त्रान के अस्त्रान के स्वावस्त के अस्त्रान के अस्त्रान के अस्त्रान के स्वावस्त्रान के अस्त्रान के अस्त्रान के स्वावस्त्रान के अस्त्रान के स्वावस्त्रान के अस्त्रान के स्वावस्त्रान के स्वावस्त

क्रम	अग्रिम का प्रकार	मुख्य लेखा शीर्षक	उपमु०ले०शी०	लपुरीर्षक	उप शीर्षक	व्यरिवार शीव
1	गृह निर्माण के अश्विम पर ब्याज	0049	04	800	02	- 01
2	मरम्मत एवं विस्तार अग्रिम पर ब्याज	0049	04	800	02	05
3	मोटर वाहन अग्रिम पर ब्याज	0049	04	800	02	04
4	कम्प्यूटर अग्रिम पर व्याज	0049	04	800	02	02
5	अन्य सवारियों के अग्रिम पर ब्याज	0049	04	800	02	03

14. अग्रिमो से सम्बन्धित विमिन्न प्रपत्र, अभिलेख और लेखा प्रक्रिया 14.1 अग्रिमो से क्रम किये गये शायित को सरकार के पक्ष में बाक रखना अनिवार्य होता है। इस हेतु विशोध हस्तपुरितका खण्ड-पाँच भाग-। में विभिन्न प्रकार के फार्म थिये गये हैं। इसका

क्रम	प्रपत्र संख्या	विवरण
1	22	इस प्रपत्र का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब कर्मचारी के पास पूर्ण स्वामित्व वाता भूखाड उपत्सब है, जिस पर भवन निर्माण हेतु अधिम वाहता है अच्या पहले से भवन है जिसके मरम्मत एवं विस्तार हेतु अधिम चाहता है। ऐसी दशा में संपत्ति को रिजस्टर्ड काक करने के बाद ही अधिम की धननशित्र अवमृक्त की जाती है।
2	22 बी	सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत अग्रिम से पूर्ण स्वामित्व वाले मूखण्ड को रजिस्टर्ड बनाक रखने हेतू इस प्रथम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार स्वीकृत अग्रिम से निर्मित पूर्ण स्वामित्व वाले मकान के मरम्मत एवं विस्तार हेतु अग्रिम की दशा में भी प्रपन-22 सी का प्रयोग किया जाता है।
3	22 डी	इस प्रपत्र का प्रयोग संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति की रंजिo बंधक कराने के लिए किया जाता है।
4	23	पट्टे वाली (लीज) संपत्ति (भूखंड/भवन) के पूर्ण स्वामित्व की दशा में इस प्रपत्र का प्रयोग किया जायेगा

वित्त-पथ 2011

5	23 ए	पट्टे वाली संपत्ति (लीज पर यदि भूखंड भवन उपलब्ध हैं) यदि संयुक्त स्वामित्व में हैं तो संपत्ति को रिजेo बंधक कराने के लिए प्रपत्र 23 ए का प्रयोग किया जाता है।
6	25	इस प्रपत्र का प्रयोग स्वीकृत अग्रिम से क्रय किये गये सभी प्रकार प्रकार के खहनों को सरकार के प्रस्न में बन्धक कराने के लिए किया जाता है। कम्प्यूटर अग्रिम के लिए भी इसी प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है।
7	25 सी	यदि वाहन या कम्प्यूटर अग्रिम अरबायी सरकारी सेवक को स्वीकृत किया जाता है तो सरकार के पक्ष में बन्धक कराने के लिए प्रपत्र 25 सी का प्रयोग किया जाता है।
8	25 डी	यदि अस्थायी सरकारी सेवक को मवन निर्माण/क्रय/मरम्मत हेतु अग्रिम स्वीकृत किया

- 8 इ. डी. चीद अल्याची सरकारी लेकक को मान्य निर्माण (अग्र. अरमान होत्र अरिम शरीक्ष प्रणा है में स्वरूप कर के की लिए प्यन्त के की मान्य में स्वरूप के का प्रणा किया वालिया।

 14.2 पूर्ण एवं मान्य का रिक्र कारक, कार/ निर्माण के पार मान्य है मीतर सरकारी मार्मणाई हाता स्वरूप की तीरिम से एक मान्य के मीतर सीठक कारक कमेगादी हाता राज्याचन के पान में किया जारिया। पार्वीकृत कारक चर स्वीकर्ण प्रारंकिकों हाता पुराशित पार्वाच जारिया के पान में किया जारिया। पार्वीकृत कारक चर स्वीकर्ण प्रारंकिकों हाता पुराशित पार्वाच जारिया।

 14.3 अर्थिय आहरण के पार्वाच के पान में मार्मणाई के किया करने का प्रणा करने के पार्वाच प्रणा करने के किया है।

 14.3 अर्थिय आहरण के पार्वाच पार्वाच प्रणा हार्योग नहीं होता है।

 14.4 अर्थाय अर्थाच के पार्वाच पार्वाच प्रणा होता के पार्वाच का प्रणा होता के पार्वाच के पार्वाच के पार्वाच के किया है।

 14.5 अर्थाय कर रीता पार्वाच के पार्वाच के पार्वाच के पार्वाच के पार्वाच के पार्वच के पार्वाच के पार्वच के पार्वाच के पार्वाच के पार्वच के पार्वाच के पार्वच के प

- राज्ये दरावर क प्रनानावरण वाम भाग औरंथ, दावा अध्यान ताम मानन औ (भाग प्रमान अधिन कानानावरण वाम भाग औरंथ, दावा अध्यान ताम मानन औ (भी) प्रीकृति से प्रतिक्षण पर जाने की दाना में मीदिक सेवन तामा अनुभय अनुमणित स्थानावरण भागे की मानतीत अधिन के रूप में देश हैं। (वेशीय हरापुरितका अपन-चीत्र मान-1 का प्रसार-249 एँ)

वित्त-पथ 2011

क्रम	अग्रिम का प्रकार	अग्रिम की शर्ते	अनुमन्य धनराशि	अग्रिम वसूली की किश्तें
1	वैतन अग्रिम	स्थानान्तरण या उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु प्रस्थान किये जाने की दशा में।	एक माह का मूल वेतन	तीन समान मासिक किस्तो मे
2	स्थानान्तरण यात्रा मत्ता अग्रिम	स्थानान्तरण की दशा में।	नियमो में अनुमन्य रथानान्तरण यात्रा भत्ता की सीमा तक	एकमुश्त स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देयक से की जायेगी।
3	यात्रा भत्ता अग्रिम	शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा प्रशिक्षण की रिथति	तदैव	यात्रा भत्ता देयक से एकमुख्त की जायेगी।
4	यात्रा भत्ता अग्रिम	शासकीय कार्यो हेतु	अनुमानित धनराशि का 90%	मुख्यालय पर वापसी या 31 मार्च जो भी पूर्व हो
5	अर्जित अवकाश या निजी कार्य पर अवकाश की रिचति में वेतन अग्रिम	(क) शासकीय सेवक ने कम से कम तीस दिन या एक मास का अवकाश का आदेदन किया हो (ख) चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अजिंत या निजी कार्य पर एक माह के अवकाश की दिखति में अपिम देय नहीं है	अंतिम आहरित वैतन के बराबर	प्रथम अवकाश वेतन से एकमुश्त समायोजन किया जायेगा। यदि एकमुश्त समायोजन समय नहीं हो पाता है तो आगामी वेतन से किया जायेगा।
6	अवकाश यात्रा सुविधा हेतु अग्रिम स्वीकृत करना	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ही अग्रिम स्वीकृति ।	अनुमानित व्यय का 90%	मुख्यालय पर वापसी या 31 महर्च जो भी पूर्व हो एकमुरू समायोजन किया जायेगा

वित्त-पथ 2011